भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 399
दिनांक 22 जुलाई, 2026 / 31 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा प्रबंधन उपकरणों की उपलब्धता

399# श्री नीरज शेखर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर में जिला स्तर तक आपदा प्रबंधन उपकरणों की उपलब्धता से संबंधित अपडेट प्रदान करने के लिए भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) नामक कोई पोर्टल चालू किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने विभिन्न सतर्क एजेंसियों के लिए एक सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) जारी किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) संसाधनों की एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक सूची है जो जिलों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर के विभागों और एजेंसियों से एकत्रित उपकरणों और मानव संसाधनों को सूचीबद्ध करता है। आईडीआरएन आपातकालीन रेस्पोंस के लिए उपकरणों, कुशल मानव संसाधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति की सूची के प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित मंच है। इस पोर्टल का प्राथमिक फोकस निर्णयकर्ताओं को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों और मानव संसाधनों की उपलब्धता का पता लगाने में सक्षम बनाना है।

यह डाटाबेस निर्णयकर्ताओं को विशिष्ट आपदाओं के लिए तैयारी के स्तर और उपकरणों की उनके स्थान के साथ उपलब्धता का आकलन करने में भी सक्षम बनाता है, जिसके फलस्वरूप आपदाओं के समय जरूरतमंद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) द्वारा इनका आसानी से पता लगाने के उपरान्त त्वरित प्रतिक्रिया हेतु उपयोग किया जा सकता है।

आईडीआरएन का विवरण https://idrn.nidm.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): सरकार ने विभिन्न आपदाओं से संबंधित चेतावनियों के प्रसार हेतु "कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी)" आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली लागू की है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चेतावनियों का प्रसार भू-लक्षित तरीके से और क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जा रहा है। यह प्रणाली अलर्ट जनरेटिंग एजेंसियों, जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई) और भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ एकीकृत करती है। वर्तमान में, चेतावनियाँ एसएमएस, मोबाइल ऐप, सचेत पब्लिक पोर्टल, गगन और नाविक सैटेलाइट टर्मिनलों के माध्यम से प्रसारित की जा रही हैं।
